[2006] 1 उम. नि. प. 86

रामेश्वर प्रसाद और अन्य

बनाम

भारत संघ और एक अन्य

7 अक्तूबर, 2005

न्यायमूर्ति वाई. के. सभरवाल, न्यायमूर्ति के. जी. बालकृष्णन्, न्यायमूर्ति बी. एन. अग्रवाल, न्यायमूर्ति अशोक भान और न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 356, 74, 164, 163, 32 और उद्देशिका – विधान सभा का विघटन – विधान सभा को विघटित करने संबंधी उद्घोषणा को असांविधानिक ठहराया जाना – यद्यपि विघटन संबंधी उद्घोषणा को असांविधानिक ठहराया गया है, तथापि यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें कि वैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग करके यथापूर्वस्थिति बनाए रखने का आदेश दिया जाए ।

बिहार विधान सभा के आम चुनाव के परिणाम घोषित किए जाने पर चूंकि कोई भी दल या दलों का गठबंधन इस स्थिति में नहीं था कि 122 सीटों को प्राप्त करके विधान सभा में अपना बहुमत रख सके इसलिए बिहार के राज्यपाल ने भारत के राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजी, जिसके आधार पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था और विधान सभा को निलंबित रूप में अस्तित्व में रखा गया था । राष्ट्रपति की उद्घोषणा को लोकसभा ने अपने अधिवेशन में और राज्यसभा ने अपने अधिवेशन में अनुमोदित कर दिया था । तत्पश्चात् बिहार के राज्यपाल ने भारत के राष्ट्रपति को दो रिपोर्टें प्रस्तुत कीं । संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के साथ पठित इन रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात्, संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड (2) के उपखंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी करके बिहार राज्य की विधान सभा को तुरंत प्रभाव से विघटित कर दिया गया था । ये रिट याचिकाएं पूर्वोक्त उद्घोषणा की सांविधानिक विधिमान्यता को चुनौती देते हुए फाइल की गई हैं । उच्चतम न्यायालय द्वारा संक्षिप्त आदेश पारित करते हुए,

अभिनिर्धारित – बिहार राज्य की विधान सभा को विघटित करने संबंधी

तारीख 23 मई, 2005 की उद्घोषणा असांविधानिक है । आक्षेपित उद्घोषणा के असांविधानिक होने के बावजूद भी, इस मामले की परिस्थितियों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह मामला ऐसा नहीं है, जहां पर वैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए विधान सभा को पूर्ववत बनाए रखने के लिए, जैसे कि वह तारीख 7 मार्च, 2005 की उस उद्घोषणा, जिसके अधीन उसे निलंबित रूप में अस्तित्व में बनाए रखा गया था, पर विद्यमान थी, यथापूर्व स्थिति बनाए रखे जाने का आदेश दिया जाए । (पैरा 9)

आरंभिक (सिविल) अधिकारिता : 2005 की रिट याचिका (सिविल) सं. 257.

[इसके साथ 2005की रिट याचिका (सिविल)सं. 255, 258 और 353 की भी सुनवाई की गई]

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन रिट याचिका ।

याची की ओर से [2005 की रिट याचिका (सिविल) सं. 257 में]	सर्वश्री सोली जे. सोराबजी और रंजीत कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, मनिन्दर सिंह, (सुश्री) प्रतिभा एम. सिंह, प्रीतेश कपूर, अभिनव मुखर्जी, सुनील फर्नांडीज, ए. के. प्रसाद, सौरभ मिश्र, (सुश्री) जसप्रीत कौर, सत्यजीत कुमार, (सुश्री) स्वेता सिंह और राय विक्रम नाथ
याची की ओर से [2005 की रिट याचिका (सिविल) सं. 255 में]	सर्वश्री सईद अली अहमद, सईद तनवीर अहमद, गिरधर उपाध्याय, एस. एस. बंधोपाध्याय, सईद तनवीर अख्तर और आर. डी. उपाध्याय
[2005 की रिट याचिका (सिविल) सं. 258 में]	श्री विप्लव शर्मा (स्वयं याची)
याची की ओर से [2005 की रिट याचिका (सिविल) सं. 353 में]	सर्वश्री पी. एस. नरसिम्हा, श्रीधर पोताराजू, अनंग भट्टाचार्य अविजीत कुमार लाला और आशुतोष पांडेय (मैसर्स पी.एस.एन.एंड कंपनी)

प्रत्यर्थी की ओर से	सर्वश्री मिलन के. बनर्जी, महान्यायवादी, गुलाम ई. वाहनवती, महासालिसिटर, गोपाल सुब्रमणियम, अपर महासालिसिटर, बी. के. प्रसाद, आर. एम. शर्मा, (सुश्री) सुषमा सूरी, नवीन प्रकाश, (सुश्री) संध्या गोस्वामी और गौरव अग्रवाल
भारत के निर्वाचन आयोग की ओर से	सर्वश्री एस. मुरलीधर, एस. के. मैंदीरत्ता, अमित शर्मा
बिहार राज्य की ओर से	सर्वश्री पी. पी. राव, वरिष्ठ अधिवक्ता, बी. बी. सिंह और कुमार राजेश सिंह
प्रत्यर्थी की ओर से [2005 की रिट याचिका (सिविल) सं. 255 में 2005 के आई. ए. सं. 8 में]	सर्वश्री बी. पी. यादव, वाहिद हुसैन और मुश्ताक अहमद

न्यायालय का आदेश

बिहार विधान सभा के आम चुनाव फरवरी, 2005 में हुए थे । भारत के निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 73 के अनुसरण में तारीख 4 मार्च, 2005 की अधिसूचना के निबंधनों के अनुसार निर्वाचित सदस्यों के नामों को अधिसूचित किया ।

2. चूंकि कोई भी दल या दलों का गठबंधन इस स्थिति में नहीं था कि 122 सीटों को प्राप्त करके विधान सभा में अपना बहुमत रख सके इसलिए बिहार के राज्यपाल ने तारीख 6 मार्च, 2005 को भारत के राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजी, जिसके आधार पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई तारीख 7 मार्च, 2005 की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 162(अ) के निबंधनों के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था और विधान सभा को निलंबित रूप में अस्तित्व में रखा गया था । उसी तारीख की, अर्थात् 7 मार्च, 2005 की एक दूसरी अधिसूचना सं. सा. का. नि. 163(अ) द्वारा यह अधिसूचित किया गया था कि वे सभी शक्तियां जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा ग्रहण की गई हैं, वे राष्ट्रपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी । गृह मंत्री ने तारीख 21 मार्च, 2005 को

जब बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2005 पर राज्यसभा में विचार-विमर्श किया जा रहा था, अपने भाषण में यह कहा कि सरकार बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करके खुश नहीं है और वह तब खुश होती अगर चुनाव के पश्चात् निर्वाचित सदस्यों द्वारा सरकार का गठन कर लिया जाता । चूंकि यह संभव नहीं था इसलिए राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया था । यह भी कहा गया कि सरकार यह नहीं चाहती है कि राष्ट्रपति शासन लंबे समय तक चले लेकिन यह निर्वाचित प्रतिनिधियों पर है कि वे इस संबंध में कदम उठाएं ; राज्यपाल उनसे कह सकते हैं और अनुरोध कर सकते हैं और वे यह भी अनुरोध करेंगे कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए और इस तरह की स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए जिसमें कि उनके लिए सरकार का गठन करना संभव हो सके । राष्ट्रपति की तारीख 7 मार्च, 2005 की उद्घोषणा को लोकसभा ने तारीख 19 मार्च, 2005 के अपने अधिवेशन में और राज्यसभा ने तारीख 21 मार्च, 2005 के अपने अधिवेशन में अनुमोदित कर दिया था ।

3. बिहार के राज्यपाल ने भारत के राष्ट्रपति को दो रिपोर्टें एक तारीख 27 अप्रैल, 2005 को और दूसरी तारीख 21 मई, 2005 को प्रस्तुत कीं । संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई अधिसूचना सं. सा. का. नि. 162(अ) तारीख 7 मार्च, 2005 के खंड (क) के साथ पठित इन रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात्, संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड (2) के उपखंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 23 मई, 2005 की अधिसूचना जारी की गई और बिहार राज्य की विधान सभा को तुरंत प्रभाव से विघटित कर दिया गया था ।

4. ये रिट याचिकाएं तारीख 23 मई, 2005 की पूर्वोक्त उद्घोषणा की सांविधानिक विधिमान्यता को चुनौती देते हुए फाइल की गई हैं । श्री सोली जे. सोराबजी, वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री पी. एस. नरसिम्हा, अधिवक्ता और श्री विप्लव शर्मा, अधिवक्ता जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए, ने विधान सभा का विघटन किए जाने की आक्षेपित कार्रवाई को चुनौती देने के समर्थन में विस्तृत दलीलें दीं ।

5. दूसरी ओर, भारत संघ की ओर से हाजिर श्री मिलन के. बनर्जी, भारत के महान्यायवादी, श्री गुलाम ई. वाहनवती, महासालिसिटर, और श्री गोपाल सुब्रमण्यिम, अपर महासालिसिटर और बिहार राज्य की ओर से हाजिर श्री पी. पी. राव, वरिष्ठ अधिवक्ता, ने भी तारीख 23 मई, 2005 की आक्षेपित उद्घोषणा के समर्थन में विस्तृत दलीलें दीं ।

6. दोनों पक्षों के द्वारा बहुत से विधि के जटिल और महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिनका दूरगामी प्रभाव होगा, उठाया । मौखिक तर्कों की सुनवाई पूरी होने के पश्चात्, विद्वान काउंसेलों ने लिखित रूप में दलीलें भी फाइल कीं ।

7. बिहार राज्य के लिए नए सिरे से चुनाव कराने को अधिसूचित कर दिया गया है । भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी तारीख 3 सितम्बर, 2005 के प्रेस नोट के अनुसार, बिहार विधान सभा के लिए आम चुनाव कराने के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है । इसके अनुसार, मतदान चार चरणों में होगा जो तारीख 18 अक्तूबर, 2005 से शुरू होगी और चौथे चरण का मतदान तारीख 19 नवम्बर, 2005 को समाप्त होगा । उक्त प्रेस नोट के अनुसार पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिए अधिसूचना की तारीख 23 सितम्बर, 2005 और तारीख 28 सितम्बर, 2005 और मतदान की तारीख क्रमशः 18 अक्तूबर, 2005 और तारीख 26 अक्तूबर, 2005 है । तीसरे और चौथे चरण के मतदान के लिए अधिसूचना क्रमशः तारीख 19 और 26 अक्तूबर, 2005 को जारी की जानी है ।

8. इसमें अंतर्वलित प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, विस्तृत कारणों को देते हुए निर्णय सुनाने में कुछ समय लग सकता है और इस प्रकार, इस प्रक्रम पर, हम यह संक्षिप्त आदेश पारित कर रहे हैं क्योंकि इस न्यायालय का आदेश विस्तृत कारणों के साथ बाद में दिया जाएगा ।

9. इस प्रकार, बहुमत की राय के अनुसार, यह न्यायालय इस प्रकार आदेश देता है :–

1. बिहार राज्य की विधान सभा को विघटित करने संबंधी तारीख 23 मई, 2005 की उद्घोषणा असांविधानिक है ।

2. आक्षेपित उद्घोषणा के असांविधानिक होने के बावजूद भी, इस मामले की परिस्थितियों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह मामला ऐसा नहीं है, जहां पर वैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए विधान सभा को पूर्ववत बनाए रखने के लिए, जैसे कि वह तारीख 7 मार्च, 2005 की उस उद्घोषणा, जिसके अधीन उसे निलंबित रूप में अस्तित्व में बनाए रखा गया था, पर विद्यमान थी, यथापूर्व स्थिति बनाए रखे जाने का आदेश दिया जाए ।

तदनुसार आदेश किया गया ।

सुनीता